प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय रेल के वित्त लेखाओं की जांच से दृष्टिगत मामलों पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ इस प्रतिवेदन के **अध्याय 1** में अन्तर्विष्ट है। यह रिपोर्ट विभिन्न मापदण्डों के आधार पर रेलवे की वित्तीय स्थिति पर केंद्रित है ।

अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से जुटाए गए धन के अनुप्रयोग एवं परियोजनाओं की समय पर पूर्णता में भारतीय रेल की दक्षता पर लेखापरीक्षा आपत्तियॉ इसे प्रतिवेदन के **अघ्याय - 2** में अन्तर्विष्ट है।